भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-523
उत्तर दिनांक 01.04.2026 को दिया गया

चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थिति

*523. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) मध्य प्रदेश में चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए भारतीय बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बहुपक्षीय ऋणदाताओं और बजटीय सहायता सहित वित्तपोषण करने वालों की परियोजना-वार सूची क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि, अधिसूचित क्षेत्र और आज की तिथि तक अधिग्रहण किए गए क्षेत्र का निजी भूमि, वन भूमि और सरकारी भूमि सहित श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक प्रभावित भूमिधारकों के लिए निर्धारित और वितरित किए गए कुल मुआवजे, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या और लंबित मुआवजा राशि का ब्यौरा तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उपायों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या इस परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग के परिवर्तन से पूर्व किसी सामुदायिक सहमति या वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन को दर्ज किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें ऐसा अनुपालन अभी लंबित है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थिति" के संबंध में श्री कार्ती पी. चिदम्बरम द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 523 के भाग (क) से (घ), जिसका उत्तर दिनांक 01.04.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण

(क) 2 X 700 मेगावाट चुटका परियोजना, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, को सरकार द्वारा 21000 करोड़ रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई थी, इसमें ऋण-इक्विटी अनुपात 70:30 निर्धारित किया गया था, जिसमें इक्विटी सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी थी। इस परियोजना को एनपीसीआईएल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एनपीसीआईएल अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं (चुटका परियोजना सहित) के लिए समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करता है। अतः चुटका परियोजना के लिए ऋणदाताओं की कोई परियोजना-विशिष्ट सूची उपलब्ध नहीं है।

(ख) संयंत्र स्थल के लिए 640.49 हेक्टेयर और टाउनशिप के लिए 67.70 हेक्टेयर भूमि को मिलाकर परियोजना हेतु 708.19 हेक्टेयर अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। 708.19 हेक्टेयर भूमि में 287.21 हेक्टेयर निजी भूमि, 41.49 हेक्टेयर सरकारी भूमि, 260.03 हेक्टेयर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) की भूमि और 119.46 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा 330 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एंड आर पैकेज घोषित किया गया, जिसमें भूमि मुआवजे की लागत 40.75 करोड़ रुपए, आर एंड आर सहायता 21.71 करोड़ रुपए और आर एंड आर कॉलोनी हेतु 70 करोड़ रुपए की लागत शामिल थी। एनपीसीआईएल ने पुरस्कार राशि राज्य प्राधिकरणों के पास जमा कराई, जिसे राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को वितरित किया गया। आर एंड आर पैकेज निर्णय के अनुसार 330 परिवारों के लिए आर एंड आर कॉलोनी का निर्माण किया गया और यह वर्ष 2022 से आवास के लिए तैयार है।
हालांकि, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने आर एंड आर कॉलोनी में स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया। इस समस्या के समाधान हेतु, विभाग, राज्य सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है और राज्य सरकार एवं एनपीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति ने भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर तथा अन्य कार्यों के लिए कुल 196.43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश की, जिसे एनपीसीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। प्राप्त मांगों के अनुसार, 196.43 करोड़ रुपए में से 117.65 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन के पास जमा कराए जा चुके हैं।

(घ) हां। ग्रामसभा की बैठकें दिनांक 16.03.2012 को पाथा, तटीघाट और चुटका में तथा दिनांक 17.03.2012 को मनेगांव और कुंडा में पेसा अधिनियम के अनुसार विधिवत् आयोजित की गईं थीं। इन बैठकों में आवेदन प्रस्तुत किए गए और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समर्थन भी दिया गया। ग्रामसभा की बैठकों के बाद ही राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

*****